दिनांक–25.06.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	विषय	विमर्श एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	➢ झालको को बोर्ड को व्यापक आधार देने हेतु पुर्नगठित करने के प्रस्ताव को शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। ➢ 321 भालको की परियोजनाओं को As is very basis पर 15 दिन में Take over करने का निदेश दिया गया। CSG को इस कार्य की प्रगति अगली बैठक में बताने का निदेश दिया गया। ➢ झालको में कार्यरत 170 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को दूसरे विभागों में भेजने के पूर्व के निर्देश को कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया गया। ➢ झालको की वित्तीय समस्या (वेतनादि) हेतु विभाग से Management fess मांगने हेतु प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया। (EIC- II& Chairman, Jhalco)
2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरूआत करना।	डोमनी नाला बराज योजना के रूपांकण एवं आलेख की स्वीकृति हेतु चर्चा हुई। परामर्शी–I ने पूर्व में ही नक्शे के मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत होने की सूचना दी, साथ ही यह बताया कि केन्द्रीय रूपांकण को सिर्फ रूपांकण गणना की आवश्यकता है। **निर्णय** ➢ मुख्य अभियंता, मेदनीनगर ने दो दिनों में रूपांकण आंकड़े एवं गणना केन्द्रीय रूपांकण को उपलब्ध करायें। ➢ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण गणना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर रूपांकण एवं आलेख का अनुमोदन कर देंगे। (EIC - I)
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	प्रधान सचिव ने गंगा बाढ़ नियंत्रण हेतु एक Master Plan बनाने की आवश्यकता पर बल दिया एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण के इस बिन्दु को कि नदी का Regime प्रतिवर्ष बदलता है, अतः मास्टर प्लान नहीं बन सकता, को नकारते हुए यह स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान भी वस्तुस्थिति के अनुसार बदल सकता है। उन्होने केन्द्रीय रूपांकण द्वारा मास्टर प्लान बनाने में पहल नही किये जाने की स्थिति में EoI के माध्यम से Consultant की सेवाएं लेकर मास्टर प्लान बनाने की संभावना तलाशने पर बल दिया।

		TAC द्वारा पारित पाँच जगहों पर किये जानेवाले बाढ़ नियंत्रण कार्य के विरूद्ध सिर्फ तीन कार्य के लिए निविदा की जा सके एवं दो कार्य एकल निविदा के कारण नहीं आवंटित किये जा सके। मुख्य अभियंता, देवघर ने सोभा एवं तीन अन्य स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु सामग्री खरीद कर प्रस्ताव दिया है, इसकी सूचना दी। यह बताया गया कि सोभापुर स्थल पर निविदा उपरान्त भी जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ नियंत्रण कार्य संभव नहीं था। अतः बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का प्रस्ताव दिया गया। यह भी बताया गया कि पिछले वर्ष Edge crating का कार्य हुआ था जो सफल नहीं हुआ एवं Launch कर गया। यह सूचना दी गई कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने के उपरान्त बरसात के मौसम के बाद TAC की अनुशंसा पर पुनः बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जायेंगे। **<u>निदेश</u>** – प्रधान सचिव ने यह निदेश दिया कि अभियंता प्रमुख–I चार स्थलों पर प्रस्तावित बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को नियमानुसारअंतिम स्वरूप देंगे एवं इस विषय पर एक बैठक कर, सभी प्रक्रियाओं को छोटा करते हुए एक सप्ताह में लिखित निर्देश जारी करेंगे। (CE, Deoghar)
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	अभियंता प्रमुख–II द्वारा पृच्छा उपरान्त कि बरासात में कार्य कैसे होगा, सूचना दी गयी कि कार्य की प्रगति संतोषजनक है, एवं Abutment कार्य एवं सामग्री आपूर्त्ति का कार्य प्रगति पर है। (CON - II)
5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	15 दिनों में स्मारित करने का निदेश दिया गया। (EIC - I)
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	सर्वे कार्य 20.07.2013 से पहले पूर्ण करने का निदेश एवं 20.08.2013 तक DPR बना लेने का निदेश मुख्य अभियंता द्वारा दो सर्वे टीम, जिनमें प्रत्येक में छह सदस्य है और वे Total स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं, की सूचना देने के उपरान्त दिया गया। (CE, WRD, Ranchi)
7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	अगली CSG की बैठक में प्रगति की पुनः समीक्षा की जायेगी। (Nodal Officer, Kanhar NPC)
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	निविदा का निष्पादन किया जाना शेष है, इस सूचना पर शीघ्र निविदा निष्पादित कर जुलाई के प्रथम सप्ताह में माननीय राज्यपाल द्वारा शिलान्यास कराने योग्य प्रगति का निदेश दिया गया। (CE, WRD, Ranchi)

9.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	प्रगति में, अगले सप्ताह तक संचिका में उपस्थापित होने की सूचना। अगले CSG बैठक में प्रगति की समीक्षा किये जाने का निदेश।
10.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	परामर्शी–I को SOP को निश्चित स्वरूप देने का निदेश। (CE, Montoring)
11.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	E-Auction total NIC द्वारा विकसित किये जाने की सूचना। इसके लिए निलामी में बोली लगाने वाला एवं कर्मचारियों की परिशिक्षण की आवश्यकता की सूचना दी गयी। यह निदेश दिया गया कि अब से सभी निलामी E-Auction के माध्यम से की जायेगी, इस आशय का एक सरकार आदेश विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ जारी किया जाये। (EIC- I/II)
12.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	अभियंता प्रमुख–I को महाराष्ट्र से अभियंता प्रमुख से सम्पर्क स्थापित कर इस संबंध में महाराष्ट्र में प्रचलित विधि के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त कर आगे की कार्रवाई का निदेश दिया गया। (CE, Monitoring)
13.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	परामर्श सेवा प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एक सप्ताह में प्राप्त करने का निदेश। (CE, WRD, Ranchi)
14.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/ Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	PPP mode में विकास के लिए अलग से एक बैठक आयोजित की जाये। (CE, WRD, Ranchi)
15.	ईचा एवं गजिया बराज की प्रगति।	प्रगति की समीक्षा की गयी एवं संतोष प्रगट किया गया। (EIC - I)
16.	झारखण्ड बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पूरी की	1. सुंरगी 2. नकटी } जुलाई में उद्घाटन योग्य होने की सूचना। 3. अपरशंख – मार्च 2014 तक पूर्ण होने की स्थिति होने की

	जाने वाली 11 मध्यम सिंचाई योजनाओं, 940 लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति	सूचना। Head work बना हुआ है। समस्या सिर्फ गेट में है। एक साल में पूर्ण करने का निदेश। 4. अजय बराज योजना–मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा सूचना दी गयी कि पिछले वर्ष के 1500 हे० की अपेक्षा इस वर्ष 20 हजार हे० में सिंचाई सुविधा दी जाये। प्रधान सचिव ने रेखांकित किया कि यह वित्त मंत्री का वादा है कि इन योजनाओं को मार्च 2014 तक पूरा करना है। अभियंता प्रमुख–I को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु पूर्ण क्षेत्र उपस्थित करने का निदेश दिया। 5. पंचखेरो में डैम पूर्ण होने की सूचना। 6. बटाने के दाहिने मुख्य नहर के निर्माण में भू–अर्जन की समस्या की सूचना। भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा 17.91 एकड़ भूमि अधिग्रहण दो महीने में पूर्ण होने का आश्वासन। 7. सुकरी – दिसम्बर तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। 8. सोनुआ – फरवरी 2014 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। 9. रामरेखा – मार्च 2014 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। 10. गुमानी – Afflux बाँध बनाने में ग्रामिणों का विरोध। 11. रैसा – मार्च 2014 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम। वितरण प्रणाली 2014–15 तक। (EIC- I/II)
17.	Consultants का empanelment	7 Consultants empannelment. Term and condition हेतु आदेश drafting की प्रक्रिया में। (EIC - I)
18.	सोनेपुर वीयर योजना का कार्य	श्री पी०एन० सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 को अगली CSG की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश।
19	डाल्टेनगंज एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग की जमीन है।	Civil Aviation Department को यह भूमि हस्तान्तरितकरने का निदेश। (CE, Mednínagar)
20.	बजट के पूरक प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	27.06.2013 तक इन्टरनेट पर आवश्यक रूप से पूरक प्रस्ताव अपलोड करने की समयसीमा की सूचना दी गयी। किराये में कितने मकान चल रहे हैं इसके अद्यतन स्थिति ज्ञात करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Bnagam 29/6/13

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG–69 / 2011– 546 / राँची, दिनांक– 29.06.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना / (यांत्रिक), राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

29.6.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : 2 / PMC / CSG–69 / 2011 546 / राँची, दिनांक– 29.06.2013

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.6.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : 2 / PMC / CSG–69 / 2011 546 / राँची, दिनांक– 29.06.2013

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

29.6.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक 546 राँची दिनांक 29.06.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

29.6.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)